न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या—08 / 2022

रामचन्द्र पुत्र श्रीराम उम्र 65 वर्ष, जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ागांव, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।

—निगरानीकार

—बनाम—

1. जयेष कुमार शशांक दतक पुत्र निरंजन लाल जोशी, जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ागांव, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू राज.।
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बड़ागांव, तहसील गुढा गौड़जी जिला झुंझुनू।
4. अनिल कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जाति जाट निवासी ग्राम हांसलसर, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
5. मख्खन लाल पुत्र श्री बेगराज, जाति माली, निवासी नवलड़ी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
6. उप पंजीयक गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू ।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अं0 धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि0 1994
विरूद्ध संकल्प सं. 06 दिनांक 20.02.2022 मिसल सं0 51
पट्टा सं0 51 ग्राम पंचायत बड़ागांव, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

उपस्थिति:—
1. श्री बिरजू सिंह शेखावत, एडवोकेट———निगरानीकार की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट——गैर निगरानीकार सं. 1, 4 व 5 की ओर से।
3. श्री शीशराम सैनी, एडवोकेट——गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 28.07.2023

उक्त निगरानी विरूद्ध संकल्प सं 06 दिनांक 20.02.2022 मिसल सं0 51 पट्टा सं0 51 ग्राम पंचायत बड़ागांव, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि— निगरानीकार का कथन है कि —''ग्राम बड़ागांव में प्रार्थी निगरानीकार के स्वामित्व व आधिपत्य में वादग्रस्त रिहायशी भूखण्ड है जिसमें प्रार्थी निगरानीकार के पूर्वजों का बनाया हुआ भवन व हनुमान जी का मंदिर स्थित है। उक्त गुवाड़ी में प्रार्थी मय [illegible] निवास करता है। उक्त रिहायशी भूमि में प्रार्थी निगरानीकार पैत्रिक काल से मय [illegible] काबिज हैं तथा इसमें रहने के लिए रसोई, कमरा पशुओं के लिये टीनशेड, पूजा पाठ के लिए मंदिर का निर्माण कर रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

गेट लगा रखा है जिस पर नेमप्लेट लगा रखी है। निगरानीकार का जन्म भी इस गुवाड़ी में हुआ था। उक्त गुवाड़ी का कुल क्षेत्रफल 1989.70 वर्गमीटर है। उक्त रिहायशी गुवाड़ी में निगरानीकार से पूर्व निगरानीकार के पिता श्रीराम व निगरानीकार के दादा मुखराम मय परिवार रिहायश करते आ रहे है। उक्त गुवाड़ी पर निगरानीकार का 100 वर्षों से अधिक वर्षों से कब्जा निरंतर व निर्बाध है। निगरानीकार के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त गुवाड़ी को गलत व अवैधानिक तौर से गैर निगरानीकार के पिता निरंजनलाल जोशी पुत्र नंदलाल जोशी सुलताना ने हड़पने की बदनियत से उक्त गुवाड़ी का पट्टा जारी करने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बड़ागाव में दिया था तथा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त गुवाडी का पट्टा आवेदन भी दिया था, किन्तु तत्कालीन सरपंच संतोष देवी ने उक्त गुवाड़ी निरंजनलाल की न होना मानकर निरंजनलाल के हक में पट्टा जारी नहीं किया था। उसके बाद उक्त निरंजनलाल जोशी ने पुनः पट्टा जारी करने का आवेदन किया था, जिस पर भी कोई पट्टा ग्राम पंचायत की ओर से जारी नहीं किया गया। तत्पश्चात उक्त निरंजनलाल जोशी ने एक प्रार्थना पत्र सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत बड़ागांव के नाम प्रस्तुत किया जिसने उक्त गुवाड़ी में निगरानीकार का कब्जा होना बताया चोरी की रिपोर्ट होना बताया गया, किन्तु उक्त एफआईआर पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इसके पश्चात किसी सुरेन्द्र कुमार जोशी ने अपने आपको निरंजनलाल जोशी का अभिकर्ता बताकर पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत आवासीय परिसर का पटटा जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट तौर से अपना अलग मकान होना व निगरानीकार का अलग भूखण्ड होना बताया। इसके बाद पुनः निरंजनलाल जोशी ने सुरेन्द्र कुमार जोशी को अपना मान्यता प्राप्त अभिकर्ता घोषित करने का आवेदन पत्र पेश किया। पूर्व में निरंजनलाल जोशी द्वारा जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी तथा विकास अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें लिखा है कि –" मेरे ग्राम पंचायत बड़ागांव स्थित आवास पर अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल करने बाबत। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2012 में उक्त निरंजनलाल जोशी लिखता है कि मैं सुलताना रह रहा हूँ। मेरे उक्त परिसर पर बड़ागांव निवासी रामचन्द्र शर्मा, प्रेमलता शर्मा, भूपेन्द्र शर्मा, ललित शर्मा आदि ने दिनांक 29.12.2012 को सीमेन्ट ब्लॉक व टीन का ढांचा बना लिया, हरे पेड़ों को काट रहे हैं, उसकी छड़िया गिरा रहे हैं।' इस प्रकार निरंजनलाल जोशी के उक्त प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट है कि उक्त रिहायशी भूखण्ड पर निरंजनलाल जोशी अथवा गैर निगरानीकार संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जयदीप डूडी संसदीय सचिव को पेश किया, उसमें उक्त गुवाड़ी का पट्टा जारी करवाने व तथाकथित अतिक्रमण मुक्त करने का निवेदन किया है। विधि का यह सुस्थापित व प्रतिपादित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति यदि किसी अचल सम्पति पर 12 वर्ष व अधिक अवधि से निरन्तर व निर्बाध तौर से काबिज है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के तहत उसके हक में स्वत्व की उपधारण ली जा सकती है। किसी भी सम्पति का पट्टा अथवा अन्तरण विलेख कोई भी संस्थान अन्तरण विलेख [illegible] भी संस्थान काबिज व्यक्ति से भिन्न व किसी अन्य व्यक्ति के हक में जारी नहीं कर सकता है। विवादग्रस्त गुवाड़ी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

बाबत जितने भी आवेदन पत्र उक्त निरंजनलाल जोशी तथा तथाकथित अभिकर्ता सुरेन्द्र कुमार जोशी ने गैर निगरानीकार सं. 2 व 3 को दिये गये उन सब में उक्त विवादित गुवाडी पर निगरानीकार का काबिज होना मय परिवार रिहायश करना दर्शाया गया है। यदि निगरानीकार को वादग्रस्त रिहायशी भूखण्ड पर बतौर अतिक्रमी माने तो विधि की व्यवस्था के अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 1 को वादग्रस्त रिहायशी भूखण्ड के बाबत घोषणा बेदखली व स्थाई निषेधाना का दावा अन्दर मियाद 12 वर्ष पेश करना था, स्वीकृत तौर से ऐसा कोई दावा निरंजनलाल जोशी या गैर निगरानीकार संख्या 1 व अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा आज तक पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनि यम की धारा 110 के तहत वादग्रस्त रिहायशी भूखण्ड के बाबत स्वत्व की उप धारण निगरानीकार के हक में की जा सकती है। किसी अचल सम्पति पर काबिज व्यक्ति को विधि की सम्यक प्रक्रिया से अन्यथा बेदखल नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त रिहायशी गुवाड़ी के बाबत बेदखली का कोई दावा न करना यह साबित करता है कि उक्त वादग्रस्त रिहायशी भूखण्ड पर निरंजनलाल जोशी अथवा गेर निगरानीकार जयेष जोशी अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का कभी कोई कब्जा हक अधिकार आधिपत्य नहीं। विधि की सुस्थापित व्यवस्था एवं सुस्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर वादग्रस्त रिहायशी गुवाड़ी पर कब्जे की वास्तविक जांच रिपोर्ट तैयार किये बगैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त रिहायशी गुवाडी का पट्टा गलत व अवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करके दिनांक 20.2.2022 को छुटटी के दिन जारी किया है जिसके विरूद्ध निगरानी पेश कर निवेदन किया कि –" विवादित पट्टा दिनांक 20.2.2022 खिलाफ पत्रावली एवं विरूद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार द्वारा जिस विवादित रिहायशी भूखण्ड निगरानीकार के पूर्वजों की सम्पति है। निगरानीकार के दादा व पिता के समय से करीब 100 वर्षो से अधिक समय से निरंतर एवं निर्बाध कब्जा है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने बिना निगरानीकार की जानकारी के निगरानीकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त रिहायशी गुवाड़ी का पट्टा प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 ने राजस्थान पंचायती राजन अधि0 1996 के नियम 148 की पालना नहीं की और पट्टा जारी करने के आवेदन का प्रकाशन आपति नोटिस जारी करने का कोई आदेश पारित नहीं किया और न ही इसका प्रकाशन अखबार में करवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 ने गुपचुप तरीके से अवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण कर विवादित पट्टा जारी किया है। धारा 157 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जाता है जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखता है और पट्टा जारी करवाना चाहता है, किन्तु वर्तमान मामले में गैर निगरानीकार संख्या 1 व उसके पिता निरंजनलाल जोशी व इनके अभिकर्ता सुरेन्द्र कुमार जोशी के दस्तावेजी संस्वीकृति से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 का विवादित भूखण्ड पर कभी कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा। गैर निगरानीकार सं0 1 ने अपने प्रार्थना पत्र प्रिंटेड फार्म को भरकर ही ज[illegible]ा है जिसमें आबादी भूमि का खसरा नंबर क्या है, नहीं दर्शाया गया। कब्जे के बाबत गलत तथ्य दर्ज है। अनापति पत्र पर भी किसी के हस्ताक्षर नहीं है। ना ही पटवारी रिपोर्ट करवायी गई है और ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

ही निरीक्षण समिति ने मौका देखकर निरीक्षण रिपोर्ट पेश की है। सरपंच के आदेश में निर्णय पत्र में भी प्रफोर्मा निर्णय किया हुआ है, कब्जे के तथ्य खाली रखे हुये हैं, कितने वर्षों का कब्जा है, कुछ अंकित नहीं है। पक्के मकान होने की रिपोर्ट कहीं भी दर्ज नहीं है, इसके बावजूद अवैध, गलत रिपोर्ट एवं खिलाफ पत्रावली जाकर पट्टा जारी किया है जिसमें नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना नहीं हुई है, इसलिए पट्टा निरस्त होने योग्य है। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार का पट्टा संख्या 51 मिसल संख्या 51 संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.2.2022 विधि विरूद्ध गलत अनौचित्यपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि गैर निगरानीकार द्वारा जिस विवादित रिहायशी भूखण्ड निगरानीकार के पूर्वजों की सम्पति है। निगरानीकार के दादा व पिता के समय से करीब 100 वर्षो से अधिक समय से निरंतर एवं निर्बाध कब्जा है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने बिना निगरानीकार की जानकारी के निगरानीकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त रिहायशी गुवाड़ी का पट्टा प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 ने राजस्थान पंचायती राजन अधि0 1996 के नियम 148 की पालना नहीं की और पट्टा जारी करने के आवेदन का प्रकाशन आपति नोटिस जारी करने का कोई आदेश पारित नहीं किया और न ही इसका प्रकाशन अखबार में करवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 ने गुपचुप तरीके से अवैधानिक प्रकिया का अनुसरण कर विवादित पट्टा जारी किया है। धारा 157 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जाता है जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखता है और पट्टा जारी करवाना चाहता है, किन्तु वर्तमान मामले में गैर निगरानीकार संख्या 1 व उसके पिता निरंजनलाल जोशी व इनके अभिकर्ता सुरेन्द्र कुमार जोशी के दस्तावेजी संस्वीकृति से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 का विवादित भूखण्ड पर कभी कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा। गैर निगरानीकार सं0 1 ने अपने प्रार्थना पत्र प्रिंटेड फार्म को भरकर ही जमा करवाया है जिसमें आबादी भूमि का खसरा नंबर क्या है, नहीं दर्शाया गया। कब्जे के बाबत भी गलत तथ्य दर्ज है। अनापति पत्र पर भी किसी के हस्ताक्षर नहीं है। ना ही पटवारी की रिपोर्ट करवायी गई है और ना ही निरीक्षण समिति ने मौका देखकर निरीक्षण रिपोर्ट पेश की है। सरपंच के आदेश में निर्णय पत्र में भी प्रफोर्मा निर्णय किया हुआ है, कब्जे के तथ्य खाली रखे हुये हैं, कितने वर्षों का कब्जा है, कुछ अंकित नहीं है। पक्के मकान होने की रिपोर्ट कहीं भी दर्ज नहीं है, इसके बावजूद अवैध, गलत रिपोर्ट एवं खिलाफ पत्रावली जाकर पट्टा जारी किया है जिसमें नियम 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना नहीं हुई है, इसलिए पट्टा निरस्त होने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

है। अतःनिगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकार का पट्टा संख्या 51 मिसल संख्या 51 संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.2.2022 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत बड़ागाव द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 के अन्तर्गत पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर गैर निगरानीकार संख्या–1 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर पटट्ा संख्या 51 जारी किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। निगरानीकार द्वारा आधार हीन मनगढ़ंत तथ्यों को आधार बनाकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1, 4 व 5 ने हस्तगत निगरानी में प्रारम्भिक आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –" निगरानीकार ने गैर निगरानीकार संख्या 2 ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा जारी पट्टा संख्या 51 आदेश दिनांक 20.2.2022 के विरूद्ध धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी प्रस्तुत की है। कानून से उक्त निगरानी पोषणीय नहीं है। कानून से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत व उक्त अधिनियम के किसी नियम या उप विधि के अधीन किये गये या जारी किये गये पंचायत के आदेश की अपील उक्त अधिनियम की धारा 61 के तहत अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति के यहां होगी और उसकी सुनवाई उक्त अधिनियम की धारा 56(1)(क)के तहत होगी। विधि में यह व्यवस्था है कि जहां पंचायत का कोई आदेश है तो उसकी अपील ही होगी पुनरीक्षण निगरानी नहीं हो सकती। इस प्रकार निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। निगरानीकार ने वाद विषयवस्तु के बाबत सिविल न्यायाधीश उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू की अदालत में गैर निगरानीकार संख्या 1 से 3 व 6 तथा अन्यों के विरूद्ध एक दावा उनवानी रामचन्द्र बनाम सरपंच वगैरह दावा संख्या 24/2022 प्रस्तुत किया जो लम्बित है। उक्त दावा निगरानी प्रस्तुत करने के पूर्व से लम्बित है। निगरानीकार के हक अधिकारों का निस्तारण लम्बित उक्त दिवानी दावा में होगा। दावा के विचाराधीन रहते हुये निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः गैर निगरानीकार संख्या 1 की तरफ से पेश प्रारम्भिक आपति स्वीकार फरमायी जाकर निगरानीकार की निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न दीवानी दावा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । निगरानीकार ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में धारा 97 के तहत किसी पंचायती राज संस्था की कार्यवाही के संबंध में विधिकता व नियमितता के संबंध में एतराज करने की [illegible] निगरानी पोषणीय होती है।

निगरानीकार ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी [illegible] पट्टे के संबंध में अपने आपको हितबद्ध व्यक्ति कथित कर आदेश के सही होने, उसकी विधिकता व नियमितता को चुनौती दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

ऐसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि निगरानीकार को ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी करने का हक नहीं है, ऐसी सूरत में गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण/निगरानी के गुणवगुण पर विचार किया गया एवं ग्राम पंचायत पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों ने विवादित गुवाड़ी मकानात आदि अपने–अपने हक हिस्से का होने का कथन किया गया है और दोनों पक्षों के मध्य विवादित गुवाड़ी के स्वामित्व व कब्जे को लेकर काफी समय से विवाद होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रतीत होता है। निगरानीकार की निगरानी में दर्ज तथ्यों से यह प्रकट होता है कि वास्तविक विवाद ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा लिये गये संकल्प व उसके कम में जारी किये गये पट्टे की विधिकता व नियमितता का नहीं है, बल्कि तथाकथित कब्जे का आधार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व को क्लेम किया गया है। निगरानी में इस न्यायालय को किसी पक्ष को कब्जाधारी होना व स्वामित्व की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। निगरानीकार ने पूर्व से सिविल न्यायालय में दिवानी दावा प्रस्तुत कर रखा है जो लंबित होना पाया गया है । सिविल न्यायालय में दोनों पक्षों की साक्ष्य के उपरांत विवादित गुवाड़ी मकानात के स्वामित्व व कब्जे के संबंध में निर्णय होना है। ऐसी सूरत में निगरानीकार के पास अपने हक अधिकार के निर्धारण के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय में चाराजोही कर नियमानुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुल्ला है। इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा जारी किये गये पट्टे की वैधानिकता को निगरानी के माध्यम से चुनौती दिया जाना कानून सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत बड़ागांव द्वारा संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.02.2022 के कम में गैर निगरानीकार संख्या–1 जारी पट्टा संख्या 51 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बड़ागांव को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested